सं.प्रशा./601/हिं.क./न.रा.भा.का.स.
कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(सी.स.)
सीमा सडक भवन, नारायणा,
दिल्ली छावनी-110010

दिनांकः 13/04/2017

सेवा मे,

प्रभारी अधिकारी
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों सहित
समस्त उप-कार्यालय

विषयः दिनांक 28/03/2017 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

*****

महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अध्यक्षता में दिनांक 28/03/2017 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कि बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस कार्यालय की ओर से प्रधान नियंत्रक महोदय एवं सहायक निदेशक(रा.भा.) तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी महोदय द्वारा भाग लिया गया। बैठक के दौरान सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्यण लिए गए(न.रा.भा.का.समिति के दिनांक 11/04/2017 की प्रति संलग्न है)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्यालय द्वारा सतत् प्रयास किये जाएँ तथा निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई की जाए तथा निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यालय अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित राजभाषा कार्याँन्वयन समिति की तिमाही बैठकों में सार्थक चर्चा की जाए।

कृपया उक्त संबंध में की गयी कार्रवाई से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(नीलू)भा.र.ले.से.
रक्षा लेखा उप नियंत्रक

प्रतिलिपि सेवा में,

महानिदेशक एवं अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(दक्षिण) दिल्ली,
(संयोजकः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो),
सचिवालयः पूर्वी खंड-7, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

(कृष्ण गोपाल)
सहायक निदेशक(रा.भा.)

HIHL00853

39/रा.भा./04/2016/रा.अ.रि.ब्यूरो
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

पूर्वी खण्ड-7, रा.कृ.पुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांक : 11.04.2017

विषयः- दिनांक 28.3.2017 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक दिनांक 28.3.2017 को आयोजित हुई। बैठक में हुए विचार विमर्श के कार्यवृत्त को अध्यक्ष नराकास द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यवृत्त में दर्शाई गई मदों पर यथापेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आई. डी. शुक्ला)
उपनिदेशक (प्रशा.)

संलग्न यथोपरि

सूचनार्थ प्रतिः-

1. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
2. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

नराकास (दक्षिण दिल्ली) के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख

# कार्यवृत्त

दिनांक 28.03.2017 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली)
की बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28.03.2017 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के.पुरम के सम्मेलन कक्ष में अपराहन 3.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में 57 कार्यालय प्रमुखों तथा 110 प्रतिनिधियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक का प्रारंभ स्वागत भाषण के साथ हुआ। इसके साथ ही, नराकास के गठन और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 1976 के नियम 12 का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि प्रत्येक कार्यालय प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित ढंग से अनुपालन किया जाता है। वे इस प्रयोजन के उपयुक्त और प्रभावशाली जाँच पड़ताल के सम्यक उपाय करें। इसी क्रम में माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह के हिंदी दिवस पर दिए गए भाषण के अंश भी पढ़े गए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षण संस्थान का भी उल्लेख किया गया। वार्षिक कार्यक्रम के पत्राचार और टिप्पण प्रतिशत के लक्ष्यों की ओर भी ध्यानाकर्षण किया गया।

बैठक के दौरान 01.07.2016 से 31.12.2016 तक की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिसमें सर्वप्रथम उन नौ कार्यालयों का उल्लेख किया गया, जिन्होंने लगभग शतप्रतिशत हिंदी में कार्य किया है। इन कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय रेशम बोर्ड, संगणक केंद्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, केंद्रीय आयुर्वेदीय हृदय रोग अनुसंधान परिषद, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल, साकेत शामिल है, जिनके लिए ऐसे कार्यालय सराहना के पात्र है। इसके अलावा, उन कार्यालयों के नाम का भी उल्लेख किया गया, जिनका पत्राचार 98% से 90% के बीच है उन कार्यालयों में नेशनल सेम्पल सर्वे, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र), सी.आर.पी.एफ., वस्त्र समिति, डाक जीवन बीमा निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल, साकेत, पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, कार्यालय सैनानी आधार चिकित्सालय आई.टी.बी.पी., कैंटीन भंडार विभाग, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर.ए.एफ, संगणक केंद्र, आर.के.पुरम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी (सी.एस.डी.), केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एवं सैंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स शामिल है। उन कार्यालयों पर

ध्यान केंद्रित कराया जिनका हिंदी पत्राचार 50% से कम है इन कार्यालयों में रक्षा संपदा अधिकारी, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, प्रौध्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क हैं। इनका पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम है।

उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय का संबोधन: सर्वप्रथम, उपनिदेशक महोदय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारियों तथा उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विभिन्न सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वयं मान्यवर राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया जाता है। नराकास के 129 सदस्य कार्यालयों में से केवल 80 कार्यालयों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त होने पर निराशा जताई। नियमानुसार नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें, इससे बैठकों में लिये गये निर्णयों को आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है। उन्होंने तिमाही रिपोर्ट में आँकड़ों की सत्यता पर विशेष ध्यान दिये जाने को कहा। तिमाही रिपोर्ट भरते समय आंकडे तथ्य परक होने चाहिए। ई-मेल के माध्यम से होने वाले पत्राचार को भी तिमाही के आँकड़ों में शामिल किया जाना चाहिए। सभी विभागों की वेबसाइट एवं ई-टेण्डरिंग नोटिस भी द्विभाषी होनी चाहिए। राजभाषा की धारा 3(3) का अनिवार्य रूप से अनुपालन होना चाहिए। डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत ई-ऑफिस पर चर्चा करते हुये कहा कि काफी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने का विकल्प नहीं है, इसलिए चाहते हुये भी हम हिंदी में काम नहीं कर सकते हैं। सभी साफ्टवेयर में हिंदी में कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंनें बताया कि जो भाषा कम्प्यूटर से नहीं जुडेगी वह विलुप्त हो जाएगी। इस दिशा में राजभाषा की वेबसाइट पर आई.टी. टूल्स पर साफ्टवेयर डाले गये है। गूगल वॉयस टाइपिंग टूल्स की सहायता से आप बोलकर भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते है। विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़कर भी यदि हम हिंदी में कार्य नहीं करेंगे तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सभी कार्यालय तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन समय पर भेजें। सभी प्रकार की भर्तियों में प्रश्नपत्र द्विभाषी होने चाहिए एवं साक्षात्कार हिन्दी में भी होना चाहिए। अधिकतर कार्यालयों द्वारा टेंडर द्विभाषी जारी नहीं होते क्योंकि वेबसाइट पर यह बात साफ पता चल जाती है। पब्लिक डोमेन का मामला होने के कारण इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे धारा 3(3) का उल्लंघन होता है। इस बात पर उन्होंने चिंता जताई कि अधिकांश कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी नहीं है। इस संबंध में संबंधित कार्यालयों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कुछ पोर्टल भी स्वीकार किए है, जिसके तहत हिंदी में भी सुझाव, शिकायत का आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि हमारी मुख्य गतिविधियां यदि हिंदी में नहीं हो रही है, तो कार्य हिंदी में नहीं किया जा रहा है। उप निदेशक ने बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का अनुपालन का उतरदायित्व सौंपा गया है। वार्षिक कार्यक्रम 2016-2017 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी कार्य को बढ़ावा दिया जाय। डायरी में ई-मेल पत्राचार की भी गणना किया जाय तथा सहायक पंजिका में क, ख, एवं ग क्षेत्र आवश्यक रूप से दर्शाया जाय। भाषा का विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ना आवश्यक है तभी उसका विकास संभव हो सकेगा। हिंदी के कार्य को महत्व दें। कठिन शब्दों का प्रयोग न करें, सरकारी कामकाज में आम बोलचाल के भाषा का प्रयोग करें ताकि एक दूसरे को

समझने में कोई दिक्कत न हो। प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रगति रिपोर्ट में कोई शेष नहीं है दिखाते है, लेकिन जब कोई शेष नहीं है तो उस कार्यालय का कार्य हिंदी में क्यों नहीं होता इस पर ध्यान देने वाली बात है। प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाय। टिप्पण वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाय। प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी होनी चाहिए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें औपचारिक नहीं होनी चाहिए।

नराकास के तत्वाधान में हिन्दी की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए, महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उत्तरी खण्ड, मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता का सफल आयोजन कराने व अत्यन्त सराहनीय कार्य के लिए अध्यक्ष, नराकास द्वारा सदस्य कार्यालय प्रमुख को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

आने वाले समय में प्रतियोगिताएं आयोजित करने से संबंधित विचार विमर्श के दौरान सी-डॉट एवं दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय के अधिकारियों ने प्रतियोगिता आयोजित करने की सहमति जताई। प्रतियोगिताओं के प्रकार एवं पुरस्कार की राशि आदि के संबंध में अध्यक्ष कार्यालय से विचार विमर्श किया जा सकता है अथवा वे स्वयं भी इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

विचार विमर्श के दौरान विभिन्न कार्यालयों से आये प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए। सी-डॉट के कार्यालय प्रमुख श्री भूपेन्द्र त्यागी, सहायक निदेशक ने कहा कि समाज से जुड़ने के लिए मोबाइल तकनीकी शब्दावली पर 1जी से 5जी तक के लिए एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की है, जिससे सभी को इस पुस्तक से लाभ मिल सकता है एवं इससे वाई-फाई से जुड़ने का कार्य प्रारम्भ किया है। कैमरे के सामने जिस भाषा में छपी हुई अगर उसका अनुवाद हम किसी अन्य भाषा में करना चाहेंगे तो वह आसानी से अनुवाद हो जायेगी। टाईफैक्ट से प्रोफेसर अवनीश कुमार, वैज्ञानिक ने बताया कि भाषा के लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो कि मोबाईल एप स्मार्ट फोन में उपलब्ध होगा और अंग्रेजी भाषा से हिंदी या अन्य भाषा का अनुवाद आसानी से हो जायेगा। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि कैप टूल के माध्यम से 60 प्रतिशत अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आसान हो जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.रोज.काम एक वेबसाइट का नाम बताया जिस पर बड़ी से बड़ी भाषाओं का अनुवाद आसानी से किया जा सकता है। एन सी ई आर टी से प्रोफेसर संध्या सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के बजाय गतिविधि पर ध्यान दिया जाय। प्रतियोगिता प्रतिभागियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करती है जिन प्रतिभागी को पुरस्कार प्राप्त होता है उनका मनोबल बढ़ता है तथा जिन्हें पुरस्कार नहीं मिलता उनमें थोड़ी उदासीनता की भावना रहती है इसलिए प्रतियोगिता के बजाय हमें हिंदी के विकास के लिए कुछ अलग तलाश या शोध करने की आवश्यकता है ताकि हिंदी का समृद्ध वातावरण बनाया जा सके। श्री गौरव गुलाटी, उप कुल सचिव नए बताया कि हमारे कार्यालय से भी निर्यात से संबंधित दस्तावेजों के लिए हिंदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक कार्यालय सीजीओ

काम्पलेक्स से श्री विद्यानन्दन तिवारी ने हिंदी अनुवादक पद पर से ही सेवानिवृत होने की स्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए उप निदेशक राजभाषा से अनुरोध किया कि वे पदोन्नति संबंधित मामले को राजभाषा विभाग में उठाएं । उप निदेशक ने कहा कि अपनी समस्या राजभाषा विभाग को लिखित में प्रस्तुत करें । कार्यालयों में हिन्दी से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है जिससे राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य प्रभावित होता है । एक अन्य कार्यालय के अधिकारी ने राजभाषा के पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति की प्रक्रिया के बारे में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि से प्रश्न किया एवं समय पर नियुक्ति एवं पदोन्नति को गति देने पर बल दिया ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिन्दी का कार्य तो होता है लेकिन उसका आंकलन या गिनती ठीक से नहीं की जाती। इसलिए तिमाही रिपोर्टों को भरते हुए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम रोजमर्रा के जीवन में हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं लेकिन कार्यालयों में भी इसका समुचित प्रयोग होना चाहिए।

सं.निदेशक, नराकास ने अपना संबोधन इस बात से आरम्भ किया कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का बहुत बडा दायित्व है । सभी जानते हैं कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सदभाव, प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाना सुनिश्चित किया गया है । आप सभी कार्यालय प्रमुखों की इस बैठक में उपस्थिति देखकर मुझे अत्यंत हर्ष है तथा इस बात की तसल्ली भी है कि राजभाषा नीति तथा नियमों को लेकर आप काफी सजग हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। आप के कार्यालयों में राजभाषा संबंधी नियमों का अनुपालन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करना ही अध्यक्ष कार्यालय को सबसे बड़ा सहयोग है। हम सभी के कार्यालय 'क' क्षेत्र में हैं इसीलिए हमें अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि संसदीय समिति स्तर के किसी भी निरीक्षण की स्थिति के लिए हम तैयार रहें।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन में सबसे सकारात्मक प्रभाव तब दिखाई पड़ेगा जब शीर्ष स्तर से इसका प्रयोग शुरू हो । तभी अधीनस्थ कार्मिकों पर इसका प्रेरणादायी असर होगा । इसीलिए, नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुख के भाग लेने की अनिवार्यता का निर्देश दिया गया है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उत्तरी खण्ड, मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू मेहरौली रोड., नई दिल्ली द्वारा जो वाद विवाद प्रतियोगिता व हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी इसके लिए अध्यक्ष नराकास ने उन्हें धन्यवाद दिया।

नोडल अधिकारी से अनुरोध किया कि उनके अधीन कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा समयानुसार की जाय । नई-नई तकनीक के बारे में कार्यालय को अवगत करायें । नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीन सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट की समय से समीक्षा कर अध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित करें, चूंकि एक नोडल अधिकारी के अधीन आठ-दस कार्यालय ही है, अत: समीक्षा करने में

कोई विशेष कठिनाई भी नहीं होगी। डीओपीटी के मानक सही तरीके से लागू हो ताकि पदोन्नति में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि यह नराकास का विषय नहीं है, लेकिन समय पर पदोन्नत्ति के लिए संबंधित विभाग को समुचित मानक बनाने चाहिए। जिन विभागों का हिंदी में प्रतिशत कम है उसे बढ़ाने का प्रयास करें।

उप निदेशक महोदय आई.डी. शुक्ला ने बताया कि सी-डॉट से श्री त्यागी ने हिंदी अनुवाद सॉफटवेयर की चर्चा की उसे अमल में लाया जाय। हिंदी हमारी जन जन की भाषा है इसे हमे विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने अपने काल में ब्राम्ही लिपि में सभी राजाज्ञाओं को शिलालेखों अभिलेखों पर लिखवाया, ताकि लोग शासनादेशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अतः सारे साम्राज्य में राजभाषा तथा लिपि की समरूपता लाई गयी। इस तरह से हम धीरे -धीरे मातृभाषा को अगर अपने हृदय से न लगाये या इसकी प्रयोग में न लाये तो एक दिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी हिन्दी भाषा के विलुप्त होने का शिकार बन सकती है जिस तरह से प्राचीन समय की ब्राम्ही लिपि को आज हम पढ़ ही नहीं पा रहे है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए हमे हिंदी के प्रति अत्यधिक सजगताऔर प्रेरणा के साथ कार्य करना होगा।

राजभाषा नीति सदभाव, प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है लेकिन हर कार्य समय पर होना चाहिए, तिमाही रिपोर्ट समय पर और सही ढंग से भरी जानी चाहिए। राजभाषा से जुड़े कार्मिकों की समस्याओं पर भी सभी कार्यालय प्रमुखों और प्रशासनिक प्रमुखों को स्वयं ध्यान देना चाहिये एवं मार्गदर्शन करना चाहिए। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हमें हृदय से लगाव रखना होगा तभी हिंदी का विकास संभव हो सकेगा। देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते या समझते है।

उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों की इस बैठक में उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया तथा विश्वास जताया कि भविष्य में भी राजभाषा कार्यान्वयन में सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही, अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक का समापन हुआ।

यह कार्यवृत्त अध्यक्ष नराकास के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुधा वर्मा

(सुधा वर्मा)
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक